Date 1 1
Page

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिए सन 1945 में एक विश्व-विद्यालय अनुदान समिति का गठन किया था यह समिति भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन केन्द्रीय विद्यालयों-बनारस दिल्ली एवं अलीगढ़ को अनुदान अनुमोदित करने से सम्बन्धित थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम वित्त आयोग ने देश के सभी विश्व अनुदान अनुमोदित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने की सिफारिश की थी। फल स्वरूप भारत सरकार ने 28 दिसम्बर 1953 ई० को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जिसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया

Date
Page

विश्वविद्यालय आयोग ने अपने कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिए छः क्षेत्रिय कार्यालय स्थापित किये जिनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार है।

(01) उत्तरी क्षेत्र गाजियाबाद → जम्मू एवं काश्मीर हिमांचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश

02 → केन्द्रिय क्षेत्र भोपाल → मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राजस्थान।

03 → पश्चिमी क्षेत्र पुणे → महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा।

(04) दक्षिणी क्षेत्र हैदराबाद → केरल तमिल नाडू, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना कर्नाटक

(05) पूर्वी क्षेत्र कोलकाता → पं बंगाल, बिहार झारखण्ड, उड़ीसा, सिक्किम

(06) उत्तर पूर्वी क्षेत्र गोहाटी → आसाम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, अरू प्र०, मिजोरम

Scanned with CamScanner

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुल 12 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि चार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रतिनिधि तथा चार को व्यक्ति कुलपतियों, शिक्षा व्यवसाय के सदस्यों एवं ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आयोग के पूर्व कालिक सदस्य हैं। जिनकी नियुक्ति क्रमशः 5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए की जाती है।

आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है।

कार्य -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक तय करने हेतु किया गया था।

Scanned with CamScanner

केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य निम्न है।

(1) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना।
(2) विश्वविद्यालय के चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।
(3) अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना।
(4) परीक्षा पद्धति में सुझाव देना।
(5) शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम कानून बनाना तथा उसके शिक्षकों की शर्ते एवं न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, समाजिक विज्ञान, कला, पर्यावरण की शिक्षा के लिए अनुदान

देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके शैक्षिक विकास के लिए संगोष्ठी परिचर्चा कार्यशाला आदि का आयोजन करने के लिए अपने निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आर्थिक सहायता देता है।

Scanned with CamScanner